इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 386]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 अगस्त 2011—श्रावण 20, शक 1933

### गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्र. एफ. 2(अ)79-2011-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,-

अनुसूची-दो एवं तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :--

अनुसूची-दो (नियम 6 देखिए) भर्ती का तरीका

अनु.	विभाग का	सेवा में सम्मिलत	कर्तव्य	भरे जाने	वाले पदों की संख्या की	प्रतिशतता
क्र.	नाम	पदों के नाम	पदों	सीधी भरती द्वारा	सेवा में कार्यरत	अन्य सेवाओं के
			की कुल	नियम 6(1)(क)	सदस्यों की	अस्थायी स्थानांतरण
			संख्या	देखिए	पदोन्नति द्वारा,	या प्रतिनियुक्ति
					नियम 6(1)(ख)	द्वारा नियम 6(1)
					देखिए	(ग) देखिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. गृह	ह (पुलिस) विभाग	। निरीक्षक/	1009/	Man	100 प्रतिशत	AMA
	मध्यप्रदेश पुलिस	रक्षित निरीक्षक	79			
(	अराजपत्रित सेवा)					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	(पुलिस) वि मध्यप्रदेश पुलि अराजपत्रित से		229		97 प्रतिशत	3 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अनुपलब्धता की स्थिति में पदोन्नति द्वारा)
3.	-	सूबेदार	72	100 प्रतिशत	_	-
4.		उप निरीक्षक (महिला उप निरीक्षक को सम्मिलित करते हुए)	2696	50 प्रतिशत (1348)	50 प्रतिशत (1348)	_
5.	-	उप निरीक्षक (रेडियो तकनीशियन)	125	50 प्रतिशत (63)	50 प्रतिशत (62)	-
6.	****	उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह)	29	100 प्रतिशत	-	-
7.	ence.	उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	06	१०० प्रतिशत	_	-
8.	****	प्लाटून कमांडर	707	40 प्रतिशत (283)	60 प्रतिशत (424)	-
9.	-	सहायक उप निरीक्षक	3304	से वि प्रा	100 प्रतिशत 80 प्रतिशत प्रधान आरध सहायक उप निरीक्षक भागीय परीक्षा से तथा तिशत अच्छे अभिलेख िका सेवाकाल पूर्ण कर	की 20 और

अनुसूची-तीन (नियम 8 देखिए)

## सीधी भर्ती के लिए व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

सेवा का नाम उ	अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा		सूबेदार	18	28	किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष.	-

<del></del>						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा	2	उप निरीक्षक (महिला उप निरीक्षक को सम्मिलित करते हुए)	18	28	किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष.	-
"	3	उप निरीक्षक (रेडियो तकनीशियन)	18	28	शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी संस्था/विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक/इलेक्ट्रीकल, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम.	-
'''	4	उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह)	18	28	शासन द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक या उसके समकक्ष.	
	5	उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	18	28	11	
	7	प्लाटून कमाण्डर	18	28	किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष	

टिप्पणी— एन.सी.सी. ''सी'' प्रमाण-पत्र धारक और एल.एल.बी. की डिग्री धारक अभ्यार्थियों को प्रत्येक के लिये 5 अंक बोनस के दिये जायेंगे.

शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष.

- 1. किसी संस्था या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक/इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो.
- 2. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से इन विषयों में से किसी एक में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष.
- 3. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक रंजन, सचिव

#### भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्र. एफ-2-(अ)79-2011-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड (अ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 11 अगस्त, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक रंजन, सचिव

#### Bhopal, the 11th August 2011

No. 2(a) 79-2011-B-4-II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Police Executive (Non-gazetted) Services Recruitment Rules, 1997, namely:—

#### **AMENDMENTS**

In the said rules,—

For Schedule II and III, the following Schedules shall be substituted, namely:—

SCHEDULE II
(See Rule 6)
Method of Recruitment

S.	Name of	Name of Posts	Total	Percenta	age of number of pos	ts to be filled
No.	Department	included in the service	Number of Duty Posts	By direct recruitment see rule 6(1) (a)	By promotion of working members of service see rule 6(1)(b)	From other Services by temporary transfer of by deputation see rule 6(1) (c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Home (Police) Department Madhya Pradesh Police (Non Gezetted service	•	1009/79	-	100%	-
2.		Company Commander	229	-	97%	3% By deputation (By promotion when not available)
3.		Subedar	72	100%	-	-
4.		Sub-Inspector (Including Woman Sub-Inspector)	2696	50% (1348)	50% (1348)	-
5.		Sub-Inspector (Radio) Technician	125	50% (63)	50% (62)	-
6		Sub-Inspector (Finger Print)	29	100%	-	-
7.		Sub-Inspector (Questioned Documents)	06	100%	-	-
8.		Platoon Commander	707	40% (283)	60% (424)	-
9.	"	Assistant sub Inspector	3304		100% Note (80% from He Constable to Assista ub Inspector Departm Examination and 20% completion of 15 ye over all service an Good record.)	ant aental 5 on ars

#### SCHEDULE III (See Rule 8)

#### Age and qualification of persons for direct recruitment

Name Servic		Name of Post	Minimum age limit	Upper age limit	Educational R Qualification Prescribed	emarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Madhya Pradesh Police Executive (Non Gezetted service)		18	28	Bachelors Degree or its equivalent from any recognised University	-
2	-	Sub-Inspector (Including Woman Sub- Inspector)	18	28	—do—	-
3	-	Sub-Inspector (Radio Technician)	18	28	3 years Diploma Course from any Institution/ University in Electronic/ Electrical/Tele Communication Engineering recognised by Government.	- n
4	-	Sub-Inspector (Finger Print)	18	28	Bachelors Degree with Mathematics, Physics and Chemistry or its Equivalent from any University recognised by the Government.	-
5	-	Sub-Inspector (questioned Documents)	18	28	—do—	-
6	-	Platoon Commander	18	28	Bachelors Degree or its Equivalent from any recognised University.	-

Note:—Holders of NCC "C" cerificate and candidates with L.L.B. Degree shall be given bonus 5 marks for each.

A Bachelor's Degree from any University recognised by the Government or its equivalent.

- (1) Three years Diploma course from any Institution or University in Electronic/Electrical or Telecommunication Engineering which is recognised by the Government of India or the State Government.
- (2) A Bachelor's Degree in any of these subjects or its equivalent from any university recognised by Government.
- (3) A Bachelor's Degree with Mathematics, Physics and Chemistry or its equivalent from any University recognised by the Government. A Bachelor's Degree or its equivalent from any University recognised by Government.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ALOK RANJAN, Secy.